



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2011/फाल्गुन 4, 1932

No. 362]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2011/PHALGUNA 4, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2011

का.आ. 426(अ).— केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में,—

(क) नियम 8ख के उपनियम (3) में “संबद्ध देश में भारतीय मिशन के सक्षम पदधारी द्वारा सम्यक् रूप में अनुप्रमाणित” शब्दों के स्थान पर “स्वयं द्वारा सम्यक् रूप में अनुप्रमाणित” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) नियम 10 के परंतुक में “इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में” शब्दों के पश्चात् “या संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी की शासकीय वेबसाइट में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) नियम 16 के परंतुक में, “इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में” शब्दों के पश्चात् “या संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी की शासकीय वेबसाइट में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) नियम 22 के उपनियम (1) के खंड (ख) के परंतुक में, “इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में” शब्दों के पश्चात् “या संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी की शासकीय वेबसाइट में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

[फा. सं. एच-7(18)/98-वि.2(जिल्द. 4)]

डॉ. संजय सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2750(अ), तारीख 11 नवम्बर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किया गया —

- (1) संख्यांक का.आ. 1219(अ), तारीख 15 मई, 2009 ।
- (2) संख्यांक का.आ. 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 ।
- (3) संख्यांक का.आ. 306(अ), तारीख 9 फरवरी, 2011 ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2011

S.O. 426(E).—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Registration of Electors Rules, 1960, namely:-

1. (1) These rules may be called the Registration of Electors (Second Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Registration of Electors Rules, 1960,-

(a) in rule 8B, in sub-rule (3), for the words “duly attested by the competent official of the Indian Mission in the country concerned”, the words “duly self-attested” shall be substituted;

(b) in the proviso to rule 10, after the words “Electronic Gazette”, the words “or in the official website of the Chief Electoral Officer of the concerned State” shall be inserted;

(c) in the proviso to rule 16, after the words “Electronic Gazette”, the words “or in the official website of the Chief Electoral Officer of the concerned State” shall be inserted;

(d) in rule 22, in sub-rule (1), in the proviso to clause (b), after the words “Electronic Gazette”, the words “or in the official website of the Chief Electoral Officer of the concerned State” shall be inserted.

[F. No. H-7(18)/98-Leg.II (Vol.IV)]

Dr. SANJAY SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number S.O. 2750(E), dated the 11th November, 1960 and last amended *vide* notifications—

- (1) number S.O.1219(E) dated the 15th May, 2009.
- (2) number S.O.244(E) dated the 3rd February, 2011.
- (3) number S.O.306(E) dated the 9th February, 2011.